

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 01/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता/भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0  
स्थायी पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0
2. श्री प्रकाश चन्द्र अजमेरा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0  
स्थायी पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0
3. श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0  
स्थायी पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0
4. श्रीमति चंचल देवी पत्नि श्री बालकिशन अजमेरा भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0  
स्थायी पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0
5. श्रीमति उर्मिला देवी पत्नि श्री दिलीप कुमार भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0  
स्थायी पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाड़ा - राज0
6. श्री कृष्णन जी नोमिनी  
M/s Hindustan Unilever Ltd. M/s Kaushik Brothers Near Octroi Check Post, Bad Pipliya ki Dhani Sikar Road, Distt. Jaipur Reg. Office - Hindustan Unilever Ltd Deliver House. B D Swant Marg. Chakala Andheri (E) Mumbai. 400099.
7. फर्म मैसर्स - M/s Hindustan Unilever Ltd. M/s Kaushik Brothers Near Octroi Check



— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—

- 1 श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
- 2 श्री पुनीत कुमार शर्मा अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से



### आदेश

दिनांक 31.07.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण संख्या 01 से 07 के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत विपक्षी संख्या 01 सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता/भागीदार मैसर्स – अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा – राज0 का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु Noodles Soupy Noodles (Knorr Mastmasala Mix) (Proprietary Food) के 140 – 140 ग्राम के 200 पैकेट आम जनता को विक्रय बाबत रखे हुए थे । एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Noodles Soupy Noodles (Knorr Mastmasala Mix), Batch No.-A191214A Pkd.-12/2014, Net Weight – 140 gm. BEST BEFOR 12/2015, Mfg. By- (A) Hindusthan Unilever Ltd. At. Plot-A-8/9, MIDC Industrial Estate , Malegaon Sinnar –Nashik -422103 (Maharashtra) इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 5.ए में दी एवं रसीद प्राप्त की । लिये गये नमूने को वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट में हैवी मेटल एवं मोनोसोडियम ग्लुटामेट की जाँच सुविधा नही होने के कारण राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार लिये गये खाद्य नमूने को नियमानुसार रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद को भिजवाया गया। बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। नियमानुसार समस्त कार्यवाही संपन्न कर दोषियों के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र

एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने, निर्माता फर्म के संविधान संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रेषित पत्र एवं प्राप्त प्रतिउत्तर की प्रतियां तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी 06.06.2015 को समय 11.30 AM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0 पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/भागीदार की हैसियत से श्री सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता/भागीदार उम्र 44 वर्ष, जाति अजमेरा निवासी 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0 उपस्थित था एवं आम जनता को बिस्किट, नूडल्स, पास्ता इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता द्वारा बताया गया है खाद्य लाईसेंस बनाने हेतु आवेदन पेश कर दिया गया है। चालान जमा कराने की रसीद प्रस्तुत की। मैसर्स अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0 का विक्रेता/भागीदार एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix (Proprietary Food) के 140 - 140 ग्राम के 200 पैकेट आम जनता को विक्रय बाबत् रखे हुए थे एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix., Batch No.-A191214A Pkd.-12/2014, Net Weight - 140 gm. BEST BEFOR 12/2015, Mfg. By- (A) Hindusthan Unilever Ltd. At. Plot-A-8/9, MIDC Industrial Estate, Malegaon Sinnar -Nashik -422103 (Maharashtra) इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 5.ए में दी एवं रसीद प्राप्त की एवं मौके पर गवाहों की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता ने उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ के क्रय बिल की प्रति बाद में पेश करने बाबत् कहा गया।

मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix., Batch No.-A191214A के 16 पैकेट पैकड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदे एवं इस बाबत् 240/- रु अक्षरे दो सौ चालीस रुपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। इन खरीदशुदा 16 पैकेटो को गवाह व विक्रेता के सामने चार बारबार भागों में बांटकर चार साफ सुखे खाली गत्तों के कार्टून मे रखकर टेप से चारो तरफ से पैक कर के रखे। चारों नमूना भागों के लिए लेबल को नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स 934 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स-934 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/भागीदार श्री सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता/भागीदार के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों

सील नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका पंचनामा तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर पंचनामों पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

श्री सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता / भागीदार मैसर्स अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा मैसर्स अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0 को लिए गये खाद्य नमूने का क्रय बिल एवं खाद्य लाईसेंस की प्रति प्रस्तुत करने पत्र प्रेषित किया गया एवं निर्माता फर्म के क्रय बिल की प्रतियां प्राप्त कि गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट में हैवी मेटल्स एवं मोनोसोडियम ग्लुटामेट की जाँच नहीं होने के कारण, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में खाद्य नमूने को पून जाँच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद भिजवाया गया, बाद जाँच नमूना मिसब्रान्ड होना पाया गया। निर्माता फर्म के सविधान संबंधित जानकारी प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं संबंधित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता/भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0 एवं अन्य द्वारा मिसब्रान्डेड (Misbranded) Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix, का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 09.01.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 09.03.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षीगण अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण सं. 01 से 07 द्वारा विक्रीत एवं निर्मित खाद्य नमूना Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix., मिसब्रान्डेड होना पाया गया है। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाये गये खाद्य नमूने में Contravaene Regulations No. 2.2.1.3 of Food Safty and Standards (Packing & Labelling Regulation 2011) होना पाया गया है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूने मिसब्रान्डेड होना पाया गया। विपक्षीगण 01 एवं 07 द्वारा Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix., का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है।

मिसब्राण्डेड पाये गये प्रकरणों के सदंर्भ में नहीं है। विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में न्यायालय से यह भी निवेदन किया कि लिये गये खाद्य नमूने को मिसब्राण्डेड इसलिए किया गया है, क्योंकि प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लेबल पर With 100 % real Vegetables लिखा गया है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना घोषित किया गया है। अतः विपक्षीगणों पर अधिक से अधिक जुर्माना अध्यारोपित करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाये गये खाद्य नमूने में Contravaene Regulations No. 2.2.1.3 of Food Safty and Standards (Packing & Lebellng Regulation 2011) होना पाया गया है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूने मिसब्राण्डेड होना पाया गया। विपक्षीगण 01 एवं 07 द्वारा Noodles Soupy Noodles Knorr Mastmasala Mix., का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण सं. 01 से 05 द्वारा पैक अवस्था में माल क्य करके, पैक अवस्था में ही विक्रय करने के कारण सेक्शन 80 (B) (2) (d)(i) का लाभ देना न्यायोचित होगा। अतः विपक्षीगण संख्या 01 से 05 को बरी कर कोई भी जुर्माना अध्यारोपित नहीं किया जाता है। निर्माता फर्म के द्वारा अपने लेबल पर With 100 % real Vegetables इत्यादि का उल्लेख कर जनता को भ्रमित किया जाता है एवं वर्तमान प्रस्थिति में बच्चों द्वारा नूडल्स का अधिक से अधिक सेवन किया जाता है। इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कर निर्माता फर्म के द्वारा जनता को गुमराह किया जाता है। अतः विपक्षीगण सं. 06 एवं 07 द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य प्रदार्थ का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्डेड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी सं. 06 व 07 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 06 पर 1,00,000/-रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) एवं विपक्षी सं. 07 पर 1,00,000/-रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0आर0गुगरवाल )

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- भीलवाडा (राज.)

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
- 3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
- 4 श्री सुधीर अजमेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा विक्रेता/भागीदार  
मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0  
स्थाई पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0
- 5 श्री प्रकाश चन्द्र अजमेरा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा भागीदारमैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर,

- अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0  
स्थाई पता - 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0
- 6 श्रीमति संतोष देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण अजमेरा भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0
- 7 श्रीमति चंचल देवी पत्नि श्री बालकिशन अजमेरा भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0
- 8 श्रीमति उर्मिला देवी पत्नि श्री दिलीप कुमार भागीदार मैसर्स - अजमेरा ब्रदर्स, 42 सुभाष नगर, अजमेर रोड, आईसीआईसीआई बैंक के पास, भीलवाडा - राज0
- 9 श्री कृष्णन जी नोमिनी M/s Hindustan Unilever Ltd. M/s Kaushik Brothers Near Octroi Check Post, Bad Pipliya ki Dhani Sikar Road, Distt. Jaipur  
Reg. Office - Hindustan Unilever Ltd Deliver House. B D Swant Marg. Chakala Andheri (E) Mumbai. 400099
- 10 फर्म मैसर्स - M/s Hindustan Unilever Ltd. M/s Kaushik Brothers Near Octroi Check Post, Bad Pipliya ki Dhani Sikar Road, Distt. Jaipur Reg. Office - Hindustan Unilever Ltd Deliver House. B D Swant Marg. Chakala Andheri (E) 400099

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मान भीलवाडा 2008)  
भीलवाडा (राज.)